संख्या-43/2025/आई/878060/41-1099-127-2023-CN-1743867

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 11 फरवरी, 2025**

विषयः-श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद द्वारा चित्रकूट के सौन्दर्यीकरण, पर्यटन अवस्थापना /विकास के लिए लैण्ड बैंक तैयार किये जाने हेतु सम्बन्धित भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि के प्रतिकर हेतु स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-9325/6-1-1/(चित्रकूट मण्डल/भूमि) 2024-25 दिनांक 30.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद द्वारा चित्रकूट के सौन्दर्यीकरण, पर्यटन अवस्थापना/विकास के लिए लैण्ड बैंक तैयार किये जाने हेतु सम्बन्धित भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि के प्रतिकर हेतु शासनादेश संख्या-700/2023/ आई/401147/001-41-1099-127-2023-सी0एन0-1743867 दिनांकः 05.10.2023 द्वारा स्वीकृत परियोजना को निरस्त करते हुए अवमुक्त धनराशि रू0 2,50,00,000.00 (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में जमा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-700/2023/आई/401147/001-41-1099-127-2023-सी0एन0-1743867 दिनांकः 05.10.2023 द्वारा श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद द्वारा चित्रकूट के सौन्दर्यीकरण, पर्यटन अवस्थापना/विकास के लिए लैण्ड बैंक तैयार किये जाने हेतु सम्बन्धित भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि के प्रतिकर हेतु स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-700/2023/आई/401147/ 001-41-1099-127-2023-सी0एन0-1743867 दिनांकः 05.10.2023 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 2,50,00,000.00 (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए उक्त की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में ऐसी कार्य प्रणाली अपनायी जाय कि उक्त की पुनरावृत्ति न हो।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।

अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, चित्रकूट।
5- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
6- निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सर्वसम्बन्धित को आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8- सम्बन्धित उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0 लो0नि0वि0, चित्रकूट।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।